

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 68/2023

प्रार्थी :- वगताराम पुत्र दयाराम उर्फ दमाराम जाति जाट, निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. वीरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत
2. चनणी पत्नी सोनाराम जाति भाट
3. जीवाराम पुत्र चोथा जाति भाट
4. भटाराम पुत्र सोनाराम
5. शंकरराम पुत्र चोथा जाति भाट
6. पवन कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत, नि0 मेवानगर,
7. खम्मादेवी पत्नी वोताराम जाति भील
8. पानीदेवी पत्नी रणछोडराम जाति भील निवासी मंडापुरा
9. राणाराम पुत्र रामाराम जाति भील निवासी मेवानगर
10. ढलकी देवी पत्नी सुरताराम जाति भील निवासी मंडापुरा
11. ग्राम पंचायत मेवानगर जरिये संरपच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेवानगर तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर
12. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर।



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु


उपस्थित :-

13. श्री भगवत सिंह राठौड , प्रार्थी अधिवक्ता
14. विप्रार्थी संख्या 1 से 12 एक पक्षीय

'आदेश'

दिनांक :- 26.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम मेवानगर, पटवार हल्का मेवानगर, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 187 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है।


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.....



(2)


इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मेवानगर, पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 187 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर, पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 187 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें ।



हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि ग्राम मेवानगर, पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 187 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड


उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.....

(3)

खातेदार है, और रिकार्ड खतेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मेवानगर, पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 187 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म बारानी दायम भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगणको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुक़रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो।



(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 26.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा